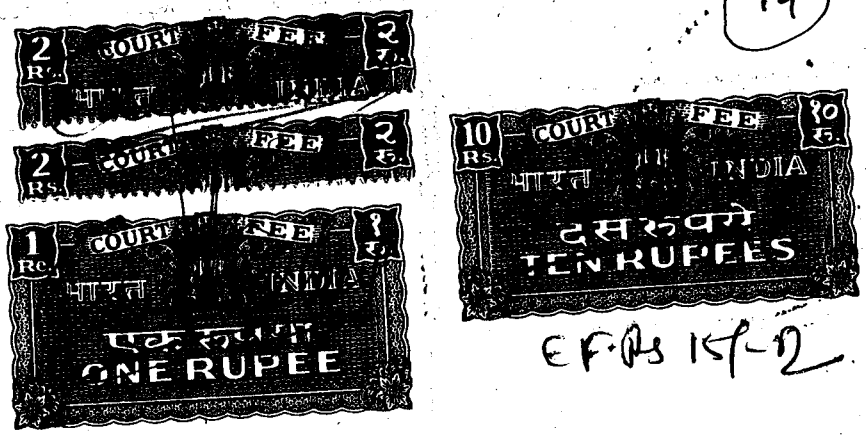

14

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA
COURT FEE 2 Rs.
COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

EF-Rs 15-2

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म० प्र० ग्वालियर

R-1124-III/2000

प्रकरण क्रमांक /2000 निगरानी

१। लल्लूराम २। हीरालाल पुत्रगण श्री नाथूराम ब्राह्मण
३। ददनप्रसाद ४। यज्ञनारायण ६। रामगरीब ७। दशरथ ८। राममिलन पुत्रगण श्री रामकृष्ण
सभी निवासीगण ग्राम पन्नी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म० प्र० ---प्रार्थीगण

श्री एस० के० अवस्थी अभि० द्वारा आज दि० 29/6/2000 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
29 JUN 2000

विरुद्ध

१। राजेशकुमार २। राकेशकुमार ३। नीलेश कुमार पुत्रगण जवाहरलाल ४। जवाहरलाल पुत्र श्री नाथूराम, सभी निवासीगण ग्राम पन्नी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म० प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

29/6/2000

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग दि० २६-२-२००० अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक ५१६/९५-९६ अपील।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपीलीय न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं हैं।

(२) यहकि प्रतिप्रार्थीगण को वर्तमान प्रकरणमें अपील करने का कोई स्वत्व न था।

(३) यहकि प्रतिप्रार्थीगण अपने स्वत्व का आधार रजिस्टर्ड विक्रय वसीयत नामा बताते हैं। रजिस्टर्ड वसीयत नामा मूल रूपमें एसडीओ महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में तह-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1124/2000 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 26–2–2000 में निष्कर्ष निकाला है कि विवादित भूमि के सभी सहखातेदारों को नामांतरण की सूचना नहीं दी गई है। प्रत्येक हितधारी व्यक्ति को नामांतरण के मामले में व्यक्तिशः सूचना देनना अनिवार्य है। इस प्रकरण में ऐसी सूचना दी जाना नहीं पाया गया है। इश्तहारक का भी प्रकाशन यथाविधि नहीं किया गया करण इस कारण अनावेदकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। इसी हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा उचित मानते हुये स्थिर रखते हुये अपील अपास्त की है। अपर आुयक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी अधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 26–2–2000 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	